न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी श्री नवनीत कुमार, आर. ए. एस.

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 107 / 2023 / बाड़मेर

अपीलांट्स	रेस्पोडेंटगण
विरधाराम पुत्र पन्नाराम जाति जाट निवासी बिलालाणी तहसील धनाऊ, जिला बाड़मेर	1. जसवंताराम पुत्र अचलाराम 2. चिमाराम पुत्र डूंगराराम 3. तगाराम पुत्र डूंगराराम 4. बांकाराम पुत्र डूंगराराम 5. मोटाराम पुत्र डूंगराराम 6. लिछमणा पुत्र पन्नाराम का.मु. 6/1सताराम पुत्र लिछमणा 6/2गोगाराम पुत्र लिछमणा 6/3दुर्गाराम पुत्र लिछमणा जाति जाट निवासी बिलालाणी तहसील धनाऊ जिला बाड़मेर 6/4जसीदेवी पुत्री लिछमणा पत्नी जुंजाराम निवासी केकड़ तहसील सेड़वा 6/5धर्मीदेवी पुत्री लिछमणा पत्नी किसानाराम 6/6जोगीदेवी पुत्री लिछमणा पत्नी घमणडाराम 6/7इमरतीदेवी पुत्री लिछमणा पत्नी चेनाराम जाति जाट निवासी खारावाला नेतराड़ तहसील चौहटन 7. केशा पुत्र खेता जाति जाट निवासी बिलालाणी तहसील धनाऊ, जिला बाड़मेर 8. श्रीमान तहसीलदार, धनाऊ

अपोल अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, चौहटन द्वारा राजस्व वाद संख्या 141/2023 बउनवान जसवंताराम बनाम चिमाराम वगैरह में पारित प्राथमिक निर्णय एवं डिक्री 22.02.2024 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थिति

1. वकील श्री मिठूखान अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री विष्णु चौधरी रेस्पोडेंट संख्या 01 की ओर से।

निर्णय

दिनांकः—23.04.2025

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि उतरदाता संख्या 1 (वादी) ने एक राजस्व वाद अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, चौहटन के न्यायालय में अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

तहत इस आशय का प्रस्तुत किया कि: वादी एवं प्रतिवादीगण के नाम का संयुक्त खातेदारी के खेत मौजा बिलालाणी तहसील धनाऊ के खेत खसरा संख्या 147 क्षेत्रफल 36.6240 हैक्टयर का आया हुआ है। जिसमें वादी का हिस्सा 1/4 हिस्सा है। तथा शेष हिस्सा प्रतिवादीगण का है। उपरोक्त आराजी में वादी का अपने हिस्से खातेदारी का है जिसमें वादी की रहवासी ढाणी, पशु बांडा इत्यादि भी अपने हिस्से में बने हुए है तथा वादी अपने हिस्से की भूमि पर लगातार काश्त करता आ रहा है। वादी एवं प्रतिवादीगण का राजस्व रेकर्ड में बंटवारा नहीं किया हुआ है, अभी तक भुमि सामलाती दर्ज है इस वजह से वादी को अपने हिस्से की भूमि में पक्का निर्माण कार्य करने, भूमि को उपजाऊ बनाने एवं भूमि की पक्की चारदीवारी आदि बनाने में दिक्कत आ रही है। इसलिये वादी वादग्रस्त भूमि में नियमानुसार अपने 1/4 हिस्से की भूमि को बाई मिट्स एण्ड बाउंडस विभाजित करवाना चाहता है। इस आशय का वाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित की गई जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ होने से काबिल निरस्त योग्य है, जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की गई।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि उपरोक्त आलोच्य निर्णय व डिक्री पारित करने से पूर्व अपीलांट पर उपरोक्त स्थिति में विधिवत रूप से तामिली नहीं हुई है, जिस वजह से अपीलांट को न तो जबावदावा प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त हुआ और न ही साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त हुआ। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री एकपक्षीय पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अपीलांटगण को प्राकृतिक न्याय एवं साम्या के सिद्धांतों के अनुसार सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया जाना अतिआवश्यक था किन्तु नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को अपनी शहादत पेश करने का भी कोई अवसर नहीं दिया गया। उत्तरदाता संख्या 01 के द्वारा अपीलांट के हक अधिकार की जमीन हड़पने की नियत से अधीनस्थ न्यायालय में दावा पेश कर बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये ही एकपक्षीय रूप से निर्णय करवा दिया। ताकि अपीलाधीन आराजी का विभाजन राजस्व मण्डल राजस्थान के विभाजन नियम 18 से 21 विपरीत किया

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

जावे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादी/उत्तरदाता संख्या 01 के हिस्सा का विभाजन करने का निर्णय व प्राथमिक डिक्री जारी की गई। अपीलांट व अन्य प्रतिवादीगण का विभाजन करने का निर्णय व डिक्री पारित नहीं की गई। कानूनन सभी काश्तकारों का विभाजन साथ में किया जाना आवश्यक व अनिवार्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हस्तगत वाद में कोई विवाद्यक बिन्दु कायम नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करते वक्त कानूनी प्रावधानों की अनदेखी करके पारित किया गया है जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित की गई। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज फरमाया जावे।

वकील रेस्पोडेंट 01 ने अपनी बहस करते हुए बताया कि कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई जो न्यायोचित है। हिस्सों को लेकर अपीलांट द्वारा किसी भी प्रकार का उजर पेश नहीं किया गया। अपीलांटस द्वारा हस्तगत प्रकरण को अनावश्यक लंबा करने की नियत से यह अपील पेश की। अपीलाधीन डिक्री में किसी भी प्रकार की कानूनी कमी नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित की गई। उसके उपरांत भी माननीय न्यायालय जो उचित समझे आदेश पारित करे।

वकील अपीलांट ने धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए निवेदन किया कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री एकपक्षीय रूप से पारित किया गया। अरसा 10–15 दिन पूर्व वादी द्वारा राजस्व कर्मचारियों से मिलकर अपीलांट के कब्जे काश्त की भूमि को अपने पक्ष में बंटवारा करने की धमकी देने तथा विभाजन प्रस्ताव वादी के दबाब में तैयार करने का कहने पर अपीलांट को अपने हक हकूक संशयप्रद लगे तो अधीनस्थ न्यायालय से अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 22.02.2024 की नकलें दिनांक 20.02.2025 को प्राप्त हुई तो अपीलांट को सर्वप्रथम हस्तगत वाद व निर्णय की जानकारी हुई। जानकारी होने पर अपीलांट द्वारा अपनी तरफ से अधिवक्ता नियुक्त करने हेतु अधिवक्ता की फीस की व्यवस्था कर मुख्यालय बाड़मेर पर अधिवक्ता से सम्पर्क किया तथा नकलों को पढाया। उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय व राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर ने अपने निर्णय नजीरों में स्पष्ट प्रतिपादित किया है कि म्याद जैसे तकनीकी बिंदु पर अपील खारिज नहीं करके मेरिट पर निर्णीत किया जाना कानूनन न्यायोचित है तथा यह भी सिद्धांत प्रतिपादित किया गया कि म्याद के बिंदु पर नरम रूख अपनाते हुए अपील को गुणावगुण पर

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधि
बाड़मेर

निर्णीत किया जावे। अपील पेश करने में हुआ विलंब सद्भाविक है अतः अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने धारा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र बहस करते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अपीलांट द्वारा अपील पेश करने में हुई देरी सद्भाविक नहीं है। अपील पेश करने में हुई देरी के एक–एक दिन का हिसाब अपीलांट द्वारा नहीं दिया गया है। अतः लिमिटेशन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की धारा 05 लिमिटेशन प्रार्थना–पत्र पर बहस सुनने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री एकपक्षीय पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। हस्तगत प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिंदुओं के आधार पर खारिज करने की बजाय इसका निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना युक्तियुक्त एवं न्यायोचित है। लिहाजा अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली का अवलोकन व अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के नाम से जारी सम्मनों पर सम्यक तामील नहीं करवाई गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री एकपक्षीय पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को जबावदावा एवं साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राथमिक निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22.02.2024 में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादी/उत्तरदाता संख्या 01 के हिस्से की घोषणा कर बंटवारा प्रस्ताव तलब किया गया। जबकि अपीलाधीन आराजी के अन्य सहखातेदारों के बंटवारे के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किसी प्रकार के आदेश पारित नहीं किये गये। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री में बंटवारा कब्जा काश्त अनुसार करने के आदेश पारित किये गये जो विधि सम्मत नहीं है। प्राथमिक निर्णय व डिक्री कब्जा काश्त के साथ मौके पर स्थाई आलामात/मार्ग/भूमि की गुणवत्ता एंव अच्छी में से अच्छी एवं खराब में से खराब किस्म की भूमि को ध्यान में रखते हुए सभी सहखातेदारों को अपने राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हिस्से अनुसार देते हुए अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की जानी थी जो नहीं की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित एवं साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

खिलाफ है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित किया गया। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांटगण की अपील रिमाण्ड करने योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, चौहटन द्वारा राजस्व वाद संख्या 141/2023 बउनवान जसवंताराम बनाम चिमाराम वगैरह में पारित प्राथमिक निर्णय एवं डिक्री 22.02.2024 को अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उपरोक्त निर्देशन को ध्यान में रखते हुए अपीलांट को जबावदावा, साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर दिया जाकर बाद सुनवाई गुणावगुण पर विधि सम्मत निर्णय पारित करे। उभयपक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 14.05.2025 को उपस्थित हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति के उक्त दिनांक से पूर्व लौटाया जावे।

23/4/2025

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 23.04.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

23/4/2025

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर